

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— / हाथरस / 15288 / 2015 / यूपी-133, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर ०४ , 2016
सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्ता,
अलीगढ़।

विषय : हाथरस में पीलीभीत-भरतापुर मार्ग (एस0एच0-33) किमी0 219 से 220 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम-हाथरस देहात के खसरा स0-176 में एस्सार ॲयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.02775 हेतु 0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के नियानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: आपके कार्यालय का पत्रांक—840 / 14-1, दिनांक 27.09.2016
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के समरांछक पत्र दि0 13.05.2016 द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कठिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-

- 1— बिन्दु-1 के कम में ॲनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-1(9) में क्षेत्रफल संशोधन आवश्यक है। यदि संशोधन नहीं हो पा रहा है, तो इस हेतु प्रयोक्ता एजेंसी पृथक से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें, ताकि अधिग्रहण कार्यवाही सम्भव हो सके।
- 2— ॲनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ई-2 एवं 3 पर अंकित सूचना, पृष्ठ-1 पर 1(घ) पर अंकित सूचना से भिन्न है।
- 3— क्षेत्रपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है। निर्धारित प्रारूप में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करें। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रारूप/^{मुद्रित} संलग्न है।

आप अवगत हैं कि भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में इस कार्यालय के पत्रांक—449 / 11सी, दिनांक 02.09.2016 द्वारा विषम परिस्थितियों से अवगत कराते हुए सम्बन्धित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, द्वारा प्रमाण-पत्र भी देने के निर्देश दिये गये हैं। अतः किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियों इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं उपरोक्तानुसार इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर त्रुटिरहित संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

D/May

D.F.O.
RGT
15/10/16

पत्रांक—728 /



भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ॲयल लि0, ऐ-5, सो-3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Sh/14/116
(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।